भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3435
दिनांक 20 मार्च, 2025

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के नए संभावित स्रोतों की खोज

3435. श्री परषोत्तमभाई रुपाला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के नए संभावित स्रोतों की खोज करने तथा आज की तिथि तक बंद पड़े तेल कुओं को पुन: खोलने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या सरकार ने इन संभावित संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई नई प्रौद्योगिकी क्रियान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के किसी नए स्रोत की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) और अन्य प्रचालकों को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के नए संभावित स्रोतों की तलाश करने के साथ ही साथ बंद पड़े तेल/गैस कूपों को दोबारा खोलने के लिए कई नीतियां बनाई हैं और प्रौद्योगिकी पहलें की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत छूटों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लिए नीति, 2014
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017
v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017
vi. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
viii. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018

ix मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा।

x प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020

xi. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) को सुबिधाजनक बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिग नीति(एचईएलपी)),2019 तथा ओएएलपी ब्लॉकों में कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।

xii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो वर्ष 2022 में दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।

xi।. सरकार भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा को अधिग्रहित करने के लिए लगभग 7500 करोड़ रू. भी खर्च कर रही है और बोलीदाताओं को उपलब्ध भारतीय तलछटीय बेसिनों का गुणवत्तापूर्ण डेटा का निर्माण करने के लिए स्ट्रेटीग्राफिक कूपों को वेधन कर रहा है । सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से आगे भूमि पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

xlv. प्रसंस्करण और व्याख्या के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तिथि प्राप्त करने के लिए एयरबोर्न ग्रेविटी ग्रैडियोमेट्री और ग्रेविटी मैग्निक सर्वे, पैसिव सिस्मिक टोमोग्राफी (पी.एस.टी), लो-फ्रीक्वेंसी पैसिव सिस्मिक (एल.एफ.पी. एस.) सर्वेक्षण जैसी नई तकनीकों को लागू किया है ।

सरकार ने खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) बोलियों के 8 दौर के तहत 144 ब्लॉक भी प्रदान किए हैं जिसके परिणामस्वरूप 13 हाइड्रोकार्बन खोजें हुई हैं। इसके अलावा, सरकार ने नामांकन क्षेत्रों में नए कूपों अथवा कूपों के इंटरवेंशन से प्राप्त गैस उत्पादन के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) मूल्य से अधिक 20 प्रतिशत प्रीमियम को मंजूरी दी है जिसके कारण देश भर में 2280 कूपों का इंटरवेंशन हुआ है।

(ग) वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.03.2025 तक) की अवधि के दौरान उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी संविदा व्यवस्था में प्रदान किए गए ब्लॉकों में कुल 15 तेल और गैस खोजें हैं और नामांकन व्यवस्था के तहत ब्लॉकों में 24 तेल और गैस संभावनाएं अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) प्रचालकों द्वारा दी गई है।

****